अध्याय–4: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग, अपर मुख्य सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) के संपूर्ण प्रभार में कार्य करता है, जो की नीतियों, निर्देशों एवं प्रशासन, कर दरों में बदलाव के प्रारम्भिक प्रस्ताव आदि के निष्पादन एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, वह अधीनस्थों द्वारा प्रकरणों के निर्धारण के संबंध में एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं और उनकी सहायता हेतु एक अपर परिवहन आयुक्त, एक संयुक्त परिवहन आयुक्त, एक सहायक परिवहन आयुक्त एवं एक उपसंचालक, वित्त (उ.सं.वि.) मुख्यालय में होते हैं। परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में पाँच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ.), एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.अ.) एवं 19 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) होते हैं। क्षे.प.अ. परमिट, लायसेंस का जारी करना, वाहनों का पंजीयन एवं मोटर यान कर का निर्धारण एवं संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी हैं और अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. परमिट जारी करने को छोड़कर शेष कार्य क्षे.प.अ. के समान हैं। अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के अधीन पंजीकृत वाहनों का परमिट संबंधित क्षे.प.अ. द्वारा जारी किया जाता है। राज्य में सात[1] उड़नदस्ता हैं, जो संबंधित क्षे.प.अ./जि.प.अ. के अधीन कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण राज्य हेतु एक केन्द्रीय उड़नदस्ता है।

वाहन कर की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैः

- मोटर यान (मो.या.) अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर यान (के.मों.या.) नियम, 1989;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (छ.ग.मो.या.क.) अधिनियम, 1991;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1992;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994; एवं
- समय–समय पर इन अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत जारी किये गये कार्यपालिक आदेश।

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) में एक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (आं.ले.प.अ.), तीन कनिष्ठ लेखा अधिकारी (क.ले.अ.), दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं तीन कनिष्ठ लेखापरीक्षक के स्वीकृत पद के विरूद्ध एक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी और दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक पदस्थ थे। इस प्रकार वर्ष 2017–18 के दौरान मानव–शक्ति में कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और कनिष्ठ लेखापरीक्षक के संवर्ग में कमी थी।

वर्ष 2017–18 के दौरान, आं.ले.इ. ने कुल योजित 22 इकाईयों में से मात्र सात इकाईयों का ही लेखापरीक्षा कार्य संपन्न किया। लेखापरीक्षा ने आं.ले.इ. के सात इकाईयों के निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की और पाया कि आं.ले.इ. ने लगभग सभी इकाई में यात्री यान और माल यान कर की अवसूली को इंगित किया था। यद्यपि समान आपत्ति लेखापरीक्षा द्वारा अभी भी देखा जा रहा हैं।

विभाग ने बताया कि (नवंबर 2018) लेखापरीक्षा की गई इकाईयों को आं.ले.इ. के टिप्पणियों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे। विभाग ने आगे बताया कि आं.ले.इ. मे पदस्थ तीन कर्मचारी विभाग के अन्य कार्य भी कर रहे थे, जो कि संपूर्ण इकाईयों के

[1] अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं रायपुर

लेखापरीक्षा नहीं किए जाने का कारण हो सकता है। आगे, कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी का एक पद भर (मार्च 2019) लिया गया है।

अनुशंसाः

शासन रिक्त पद को भर कर एवं समर्पित कर्मचारियों की पदस्थापना कर आं.ले.इ. को सुदृढ़ करें।

4.3 लेखापरीक्षा परिणाम

परिवहन विभाग के 23 इकाईयों ने वर्ष 2016–17 में कुल ₹ 985.27 करोड़ अर्जित किए। लेखापरीक्षा द्वारा सात इकाईयों की कुल 11 प्रतिशत प्रकरणों की (कुल 3,19,638 में से 33,992) नमूना जांच की गयी जो कुल राजस्व का 67.42 प्रतिशत है। लेखापरीक्षा द्वारा 60 प्रतिशत प्रकरणों (कुल 33,992 में से 20,508) में ₹ 60.14 करोड़ के विभिन्न अनियमिततायें देखी गयी जिसका विवरण **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वाहनों से कर/शास्ति की अप्राप्ति	12,892	55.03
2.	कर की कम प्राप्ति	229	2.09
3.	अन्य अनियमिततायें[2]	7,387	3.02
योग		**20,508**	**60.14**

विभाग द्वारा कर की कम प्राप्ति, कर एवं शास्ति की अप्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित 16,574 प्रकरणों (81 प्रतिशत) में सन्निहित राशि ₹ 51.64 करोड़ को स्वीकारते हुए 288 प्रकरणों में राशि ₹ 91.94 लाख वसूली की गयी। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

2017–18 के दौरान 1,274 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 5.05 करोड़ के एक प्रारूप कंडिका को जारी करने के पश्चात विभाग ने कर की अप्राप्ति/कम प्राप्ति के 1,259 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 4.92 करोड को स्वीकार किया और 136 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 0.37 करोड़ की वसूली की।

4.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2012–13 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 10 कंडिकाओं के माध्यम से राशि ₹ 38.45 करोड़ के विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया था, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 36.92 करोड़ को स्वीकारते हुए ₹ 2.18 करोड़ की वसूली की गई।

लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05, 2006–07 से 2011–12 और 2013–14 के नौ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के चर्चा हेतु 15 कंडिकाओं का चयन किया गया एवं समिति द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05, 2006–07 से 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के छः

[2] अन्य अनियमितताओं में सम्मिलित है निर्धारित आयु से अधिक आयु के वाहनों का परिचालन, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहनों का परिचालन एवं परिवहन वाहनों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं होना इत्यादि।

कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा प्रदान की गयी। हालांकि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के तीन कंडिकाओं पर कार्रवाई टीप प्राप्त नहीं हुई है।

4.5 वाहन स्वामियों से मोटर यान कर की अप्राप्ति

क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण 1,138 वाहन स्वामियों से कर की राशि ₹ 2.60 करोड़ एवं शास्ति की राशि ₹ 2.84 करोड़ की अप्राप्ति।

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 प्रावधानित करता है कि राज्य में रखे या उपयोग हेतु रखे गये प्रत्येक माल एवं यात्री वाहनों पर कर, यात्री यानों पर ₹ 1,200 से ₹ 36,000 प्रतिमाह की दर से एवं माल यानों पर उनके सकल वाहन भार 2,000 किलोग्राम (कि.ग्रा.) तक ₹ 300 प्रति तिमाही एवं अतिरिक्त ₹ 100 प्रत्येक 500 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिये आरोपित किया जायेगा। भुगतान न करने की दशा में माल एवं यात्री वाहन स्वामियों द्वारा शास्ति[3] देय होगी परन्तु असंदत्त कर से अधिक नहीं। अगर वाहन स्वामी कर, शास्ति या दोनों भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी मांग जारी करेगा एवं बकाया वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने हेतु कार्रवाई करेगा। अगर वाहन स्वामी किसी अवधि के लिए वाहन 'ऑफ–रोड' रखना चाहता है तो वह संबंधित कराधान प्राधिकारी को अवधि की शुरूआत से पहले वाहन के अनुपयोग हेतु सूचित करेगा।

पाँच परिवहन कार्यालयों[4] में 10,012 पंजीकृत वाहनों से संबंधित मांग एवं संग्रहण पंजी एवं वाहन 2.0 डेटाबेस की नमूना जाँच अवधि 2013–14 से 2017–18 के लिये किये जाने पर लेखा परीक्षा ने पाया कि कर अवधि अप्रेल 2013 से अक्टूबर 2017 के लिये संबंधित 1,274 वाहनों[5] (12.72 प्रतिशत) से राशि ₹ 2.90 करोड़, वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं था जो यह प्रमाणित कर सके की वाहन ऑफ–रोड थे। क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा वाहन साफ्टवेयर में रिपोर्ट उत्पन्न करने कि सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी, बकाया कर पर कार्यवाही हेतु कोई कदम नहीं उठाये गये। यदि कोई असंदत्त मोटर यान कर एवं शास्ति हो तो, वाहन साफ्टवेयर में बकायदारों की सूची उत्पन्न किये जाने का प्रावधान है। साफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी, क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा 1,274 वाहन स्वामियों से कर एवं शास्ति की वसूली के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अतः क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा उपयुक्त कार्यवाही करने में असफल रहने के कारण ₹ 2.90 करोड़ के कर एवं ₹ 2.91 करोड़ की शास्ति की वसूली नही हो सकी।

इंगित किये जाने पर (मार्च 2019) विभाग ने उत्तर (अप्रेल 2019) में कहा कि 136 वाहन स्वामियों से राशि ₹ 37.00 लाख (करः ₹ 29.41 लाख एवं शास्तिः ₹ 7.59 लाख) वसूल कर ली गयी है। विभाग ने आगे बताया की शेष बकाया राशि की वसूली हेतु संबंधित परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये है। इस प्रकार 1,138 वाहन स्वामियों से राशि ₹ 5.44 करोड़ (कर ₹ 2.60 करोड़ एवं शास्ति ₹ 2.84 करोड़) अभी तक बकाया है।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान आक्षेप इंगित किये गये थे परन्तु विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम हेतु कोई प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की गयी।

---

3 प्रतिमाह एवं उसके भाग के चुक के लिए असंदत्त कर का एक बटा बारहवां भाग

4 अ.क्षे.प.अ., दुर्ग; अ.क्षे.प.अ., राजनांदगांव; जि.प.अ., बैकुण्ठपुर (कोरिया); जि.प.अ., महासमुंद एवं क्षे.प.अ., रायपुर

5 1,062 (मालयान) + 212 (यात्रीयान) = 1,274 वाहन

लेखा परीक्षा ने अनुशंसा की थी (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2016–17) कि विभाग एक ऐसा तंत्र विकसित करे, जिससे वाहन कर एवं शास्ति की पूर्ण वसूली हो सके। हालांकि, अवसूली अभी भी बनी हुई है।